


नियत की जाती हैं ॥ ६

7/7/23 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी  
अनुपस्थित। वार? आवाज दिलवायी जाने के  
उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं। अतः वादी का वादपत्र अदम हाजरी अदम  
देखी में खारीज किया जाता है। पत्रावली में  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दायित्व  
हो।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)